



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र0)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : 5/98/स्था./जी.एम.सी./2022

रतलाम, दिनांक :- 2/5/2022

// विज्ञप्ति //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जूनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 03 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु प्रत्येक मंगलवार की स्थिति में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक वर्ष आगे बढ़ाई जावेगी।

(जूनियर रेसिडेंट (निश्चित वेतन रु. 53,000/- प्रतिमाह)

विभाग	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रिक्त कुल पद
Medicine	2	2	2	1	1	8
Pediatrics	2	1	1	1	-	5
Surgery	2	2	2	2	1	9
Psychiatry	-	-	-	1	-	1
Orthopedics	1	1	1	1	-	4
ENT	1	1	-	1	-	3
Ophthalmology	-	1	-	1	-	2
Obstetrics & Gynecology	2	2	-	2	-	6
Anesthesia	1	2	-	2	-	5
Emergency Medicine	1	-	-	1	-	2
Total :-	12	12	6	13	2	45

जूनियर रेसिडेन्ट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) में किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्रतिदिन (कार्य दिवस) प्रातः 10:30 से 5:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे (यदि आवेदक मंगलवार को आवेदन प्रस्तुत करता है तो साक्षात्कार अगले मंगलवार को लिया जावेगा)। 5:00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसिडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा, के बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्त लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार लागू होगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. अवधि : जूनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्ताकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. जूनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
6. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
7. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें :-

1. चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिनांक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसिडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होंगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों की स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा की उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. यदि उम्मीदवार द्वारा ओबीसी पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा वालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
10. बाण्डेड अभ्यार्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/आई है किन्तु मैंने अपनी जोइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले जूनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।


DEAN
 Government Medical College
 Raigarh (M.P.)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं (M.P.)
 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
 रतलाम (M.P.)